रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या:21/2015/1351/43-1-2014-25(10)/2014
लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2015
कार्यालय- ज्ञाप

श्री फैयाज अहमद, मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय,उ0प्र0 इलाहाबाद जो दिनांक 31-07-2014 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है। इनके अवकाश लेखे में कुल 300 दिनों का उपार्जित अवकाश संचित है। अतएव वित्त (सामान्य)अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:-4-1327/20-2000/77, 18 जनवरी, 1979 सपठित शासनादेश संख्या:023/दस-85-205/84 दिनांक 14-06-1985 व शासनादेश संख्या:-4-1071/दस-2001/76 दिनांक 21-03-1992 एवं शासनादेश संख्या:-सा-4-383/दस-99-2000/88 दिनांक 01-07-1999 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री फैयाज अहमद,मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0 इलाहाबाद को 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

2- उक्त नकदीकरण का भुगतान श्री फैयाज अहमद, सेवानिवृत्त मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0इलाहाबाद को किया जायेगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपार्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिनों की सीमा के अन्दर है ।

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या:-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुटटी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-02- दिनांक 08 नवम्बर,2000 के पश्चात़ सेवानिवृत्त हित लाभ " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

एस0एन0शुक्ल
प्रमुख सचिव

संख्या:21/2015/1351(1)/43-1-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्षित :-

1- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी,सिविल लाइन्स, इलाहाबाद ।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी,राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय,उ0प्र0इलाहाबाद ।
4- लेखाकार, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय,उ0प्र0इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
5- श्री फैयाज अहमद, सेवानिवृत्त मुख्य निरीक्षक,राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय,उ0प्र0 इलाहाबाद निवासी मोहल्ला- नारियल तल्ला ग्रा0 गुलचप्पा- पोस्ट-अलियाबाद,जिला- बारांबकी- 5225401
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/निदेशक,प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0शासन।
7- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in